



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271120  
CG-DL-E-21032026-271120

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

मामला संख्या: – सीवीडी(ओआई)-02/2026

**विषय:** मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 6/16/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष मिस्र (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के सब्सिडीकरण का आरोप लगाते हुए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।

**क. सब्सिडीकरण का आरोप**

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध देश की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों दी गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त किया है, जिसमें विभिन्न उन प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें शामिल हैं, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, और अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं। आवेदक ने संगत सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं और उन अन्य जांच अधिकारियों के निर्धारण में शामिल हैं, जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिकार योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाला था।

**ख. परामर्श**

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 12.03.2026 को मिस्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व-शुरुआती परामर्श आयोजित किए गए थे। मिस्र सरकार द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में लिया गया है और उन्हें जांच के दौरान उचित रूप से विचार में लिया जाएगा।

**ग. सब्सिडी कार्यक्रम**

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों को मिस्र की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा नीचे सूचीबद्ध कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। कथित सब्सिडी में प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण और संभावित प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण या देनदारियां शामिल हैं; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है उसे छोड़ दिया जाता है या एकत्र नहीं किया जाता है; पर्याप्त परिलब्धि से कम के लिए सामानों और सेवाओं का प्रावधान; आदि।

क. औद्योगिक निवेश नकद प्रोत्साहन

ख. कारपोरेट कर प्रोत्साहन

ग. मशीनरी, उपकरण और कच्चे माल पर सीमा शुल्क छूट

घ. भूमि/बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन

ड. मुक्त क्षेत्र/निवेश क्षेत्र लाभ

च. क्षेत्रीय/स्थान आधारित प्रोत्साहन

छ. निर्यात सब्सिडी/निर्यात छूट योजना

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें मिस्र की सरकार या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय, सार्वजनिक निकायों सहित वित्तीय योगदान शामिल है और प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करता है। इन योजनाओं को कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और या उत्पादों और/ या क्षेत्रों तक सीमित होने का भी आरोप लगाया गया है और इसलिए विशिष्ट और प्रतिकार योग्य हैं।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार है, जो जांच प्रक्रिया के दौरान संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मौजूद पाई जाएं और उनके द्वारा ली गई हों।

**घ. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

7. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है)। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएएसओ4. 2एच2ओ ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किया जाता है, यह अपने क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है ताकि स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन सके जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है।

8. संबद्ध सामान का उपयोग मुख्य रूप से भवन अनुप्रयोगों में प्लास्टर को समतल करने, सजावटी भवन तत्वों जैसे कॉर्निस और पीओपी शीट आदि के लिए किया जाता है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पाद: नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; प्लास्टर सामग्री, चूना और सीमेंट" के तहत संबद्ध उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। तथापि, सामान 25 के अन्य शीर्षों के तहत भी आ रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में विद्यमान है।
9. आवेदक उद्योग ने कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख या इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

#### ड. समान वस्तु

10. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित सामानों को प्रथम दृष्टया, मिस्र से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

#### च. घरेलू उद्योग और आधार

11. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

*"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (55%) है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान मामले में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से बिखरे हुए उद्योग हैं। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं।
13. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आवेदक या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर,, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

#### झ. शामिल देश

14. यह आवेदन-पत्र मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित सब्सिडीकरण के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश मिस्र है।

**ज. जांच की अवधि**

15. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक है। क्षति की जांच की अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि है।

**ट. चोट और कारण लिंक का आरोप**

16. आवेदक ने मिश्र से राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देश से आयात किए जाने वाले विषय की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में वृद्धि हुई है। कीमतों में सकारात्मक कटौती हो रही है और डंप किए गए आयातों के कारण कीमतों में कमी और अवसाद घरेलू उद्योग को प्रतिफल की उचित दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक रहा है। विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण पीओआई में नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रथम दृष्टया उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से पता चलता है कि मिश्र से कथित रियायती दर पर किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति हुई है।

**ठ. जांच की शुरुआत**

17. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करता है, प्राधिकरण एतद्वारा कथित सब्सिडी में एक एंटी-सब्सिडी जांच शुरू करता है और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9बी के अनुसार, कथित सब्सिडी के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और सब्सिडी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

**ड. सूचना प्रस्तुत करना**

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल आईडी-सीवीडी/ओई/002/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

22. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रभावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट [www.dgtr.gov](http://www.dgtr.gov) को नियमित रूप से देखते रहें।

**ढ. समय सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-सीवीडी/ओआई/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

25. PUC/PCN कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की 15-दिन की अवधि इस प्रारंभिक सूचना के उपर्युक्त अनुच्छेद 22 में उल्लिखित समय सीमा के साथ समानांतर चलती है।

26. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार, 15 दिनों से अधिक के विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध ऊपर पैरा 22 में निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

28. वर्तमान जांच में जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह सीवीडी नियमावली के नियम 8 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

29. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह

सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

#### थ. असहयोग

39. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2026

Case No. CVD (OI) - 02/2026

**Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of "Calcined Gypsum Powder" Originating in or exported from Egypt.**

1. **F. No. 6/16/2026 -DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Saint Gobain

India Pvt Ltd., (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of countervailing duty investigation by alleging subsidization of Calcined Gypsum Powder, originating in or exported from Egypt (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

**A. Allegation of subsidization**

2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the governments of the subject country, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other public bodies. The applicant has relied up on the relevant Laws, Rules and Regulations, and other Notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervail able subsidy programs.

**B. Consultation**

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 12.03.2026 with the representatives of the Government of Egypt. Oral submissions made by the Egyptian Government have been taken on record and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

**C. Subsidy programs**

4. The prima facie evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the governments of Egypt and/or their respective public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is fore gone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.
  - a. Industrial Investment Cash Incentive
  - b. Corporate Tax Incentives
  - c. Customs duty exemptions on machinery, tools & raw materials
  - d. Land / Infrastructure Incentives
  - e. Free Zone / Investment Zone Benefits
  - f. Regional / Location-based Incentives
  - g. Export Subsidy / Export Rebate Scheme
5. It has been alleged that the above-mentioned schemes are subsidies since these involve a financial contribution from the government of Egypt or other regional or local, including public bodies and confer a benefit on the recipient(s). These schemes are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervail able.
6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

**D. Product under consideration (PUC)**

7. The product under consideration in the present application is “Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”). The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder”. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ), which when heated in controlled way it loses 1.5 water ( $\text{H}_2\text{O}$ ) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate.
8. The subject goods are majorly used for levelling Plaster in building applications, Decorative building elements like cornices & POP sheets, etc. The subject products are classified under Chapter Heading 25 “Mineral products: Salt; Sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 25202010. However, goods are being imported under other heads of Chapter 25 also. It is also noted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.
9. The Applicant has not proposed any PCNs. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and product control numbers (PCNs), if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation or date of the receipt of this notice.

**E. Like Article**

10. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject county. The article produced by the applicant and imported from Egypt are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicants have been considered as like article to the product being imported from Egypt.

**F. Domestic Industry and Standing**

11. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

*“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”*

12. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer (55%) of the Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster in India. The Applicant has further submitted that in the present case producers of the subject goods are from fragmented industry consisting of a large number of small producers across the country. The Applicant has further stated that, it is not practically possible to collect data relating to production from each individual producer, due to nature and size of industry. It has been further submitted that there are no published records of the gross domestic production of the product in India and such information is also not collated by any governmental or market research agency however, as per their information, they account for major producers of the subject goods in India.

13. The Applicant has also certified that there are no imports of the product under consideration by the Applicant or any of its related party. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India. On the basis of the information available on record, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules supra.

**G. Country involved**

14. The application has been filed in respect of alleged subsidization of the subject goods originating in or exported from Egypt. Therefore, the subject country for the present investigation is Egypt.

**H. Period of Investigation**

15. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The injury examination period is April 2022 - March 2023, April 2023 - March 2024, April 2024 - March 2025 and the proposed period of investigation.

**I. Allegation of injury and causal Link**

16. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the subsidized imports from Egypt. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as in relative terms. There are positive price undercutting and price suppression and depression caused by the subsidized imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to achieve reasonable rate of returns. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT and ROCE have declined in the POI. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicant *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidized imports from Egypt.

**J. Initiation of the Investigation**

17. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the subsidization and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-subsidy investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9B of the Act read with Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidy and to recommend the amount of subsidy duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**K. Submission of Information**

18. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-CVD/OI/002/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
19. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

20. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

#### **L. Time Limit**

23. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID CVD/OI/002/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the CVD Rules, 1995.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
25. The 15 day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 22 above of this initiation Notification.
26. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the CVD Rules.
27. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 22 above. Requests submitted after this time will not be considered.

#### **M. Submission of Information on Confidential Basis**

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as

“non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**N. Inspection of public file.**

38. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**O. Non-Cooperation**

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority